उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग
लाल बहादुर शास्त्री भवन,
लखनऊ - 226001
E-mail: csup@up.nic.in

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग

लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2009

प्रिय महोदय,

मैं आपके संज्ञान में निम्न तथ्य लाना चाहता हूँ कि विगत में उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभागों में कार्यरत कार्मिकों को एक तरफा कार्यमुक्त कर उत्तर प्रदेश राज्य में योगदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह चिन्ताजनक प्रकरण है जिसमें निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। विधिवत् केन्द्र सरकार के निर्णय अथवा उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति के बिना उक्त कार्यवाही करना विधिसम्मत् नहीं है।

विधिवत् आवण्टित न होने के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे एक पक्षीय रूप से कार्यमुक्त किए गए कार्मिकों को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है। जिन एकतरफा आदेशों के तहत कार्मिक कार्यमुक्त किए गए हैं उन्हें तत्काल निरस्त करना ही एकमात्र विकल्प है ताकि अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।

इस सम्बन्ध में, मुझे यह भी अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि भविष्य में कार्मिकों के आदान-प्रदान सम्बन्धी कोई आदेश बिना विधिसम्मत् प्रक्रिया पूर्ण किए हुए न किए जायें। मैं इस सम्बन्ध में आपसे पूर्व में भी वार्ता कर अनुरोध कर चुका हूँ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)

श्री नृप सिंह नपल्च्याल,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

पृष्ठांकन संख्याः २९२३/29-1-2009-66 जनरल/09 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि भविष्य में यदि कोई कार्मिक बिना विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए हुए उत्तराखण्ड से कार्यमुक्त होकर उत्तर प्रदेश में योगदान दिए जाने हेतु उपस्थित होता है तो उसका योगदान स्वीकार न किया जाए।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।